

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी  
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे जावे न  
कि किसी अल्प पदाधिकारी के नाम से।  
सम्बन्धित विषय पर यहि पूर्व में पत्र  
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक  
अवश्य लिखा जावे जिससे संविधा हो।



ग्राम : गूँजीवर्सिटी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/महा.वि.प./2011/ 3600

दिनांक: 30/07/11

## // अधिसूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध अशासकीय महाविद्यालयों की शासी निकाय की समितियों में परिनियम 28(भाग-3) की धारा 6(1)(सी) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19 मई, 2011 के पद क्रमांक (30) के (अ-अ-12) पर लिये गये निर्णयानुसार शासी निकाय में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मनोनीत किये जाते हैं :-

**महाविद्यालय का नाम :** पं. दीनदयाल महाविद्यालय, पोरसा, जिला - मुरैना

**मनोनीत सदस्य** : 1. श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य, कार्यपरिषद्

2. डॉ. अशोक जैन, आचार्य, वानस्पतिकी अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर

उपरोक्त सदस्यता दो वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।

अधिकारी  
महाविद्यालयीन विकास परिषद

प्रतिलिपि:-


- सम्बन्धित प्रतिनिधियों की ओर सूचनार्थ।
- प्राचार्य, पं. दीनदयाल महाविद्यालय, पोरसा, जिला - मुरैना की ओर भेजकर तत्काल प्रभाव से शासी निकाय में मनोनीत सदस्यों को सूचित करते हुये पत्र प्राप्त होने के एक माह की अवधि में प्रथम शासी निकाय की बैठक बुलाई जावे। इस तरह कम से कम एक वर्ष में तीन बार शासी निकाय की बैठक होना अनिवार्य है तथा बैठक होने के तुरन्त बाद पूर्ण विवरण एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करें तथा साथ में आपको यह भी सूचित किया जाता है कि मनोनीत सदस्यों को कॉलेज कोड 28 शिक्षण संस्थान अधिनियम 1978 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्गदर्शिका प्रथम बैठक के पूर्व में प्रदान करें।

शासी निकाय की बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों का ठी.ए./डी.ए. महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

अधिकारी  
महाविद्यालयीन विकास परिषद

# जीवाजी विश्वविद्यालय, नवालियर

महाते पत्र छविसाठ कृतिशिरों जीवाजी  
विश्वविद्यालय के बजाए से ही किया जाते जा  
कि जीवाजी अन्य विश्वविद्यालयों के तरमु हैं।  
सम्बलेत विभिन्न पत्र यांत्र एवं पत्र  
क्रमांक तुआ हो तो पत्र क्रमांक ऐसे दिलाका  
अनुच्छेद लिखा जावे जिससे सरिष्ठ हो।



दाता : श्रीमती श्रीमती  
फ़ोन : (0751) 2341396  
(0751) 2442829  
फैक्ट : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसरिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
नवालियर  
कर्मांकनाम सम्बलता/2009/4549

दिनांक: 13/02/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, नवालियर से अन्वय धं. दीनदयाल उपाध्याय नहाविद्यालय, पोरसा, जिला-मुरैना (09754990628) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित संचालित ची.ए. तृतीय वर्ष, (आ.पा. भूगोल, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, हिन्दी साहित्य, अध्यात्म) ची.कॉर्स. तृतीय वर्ष, ची.एस-सी. तृतीय वर्ष, (आ.पा. गणित, इतिहास, भौतिकी, वैज्ञानिकी), ची.ए. द्वितीय वर्ष, (आति.वि. समाजशास्त्र, अंग्रेजी), ची.एस-सी. द्वितीय वर्ष, (आति.वि. कम्प्यूटर साइंस), पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रम/विषयों की अनुच्छेदी सम्बलता हेतु अनुबंधोंपरे प्रदान करने के लिये मानवीय कूलपति गहोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, नवालियर ने विश्वविद्यालय अधिकायम 1973 के परिविष्टम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. ए.पी.एस. चौहान, आचार्य, राजनीति विज्ञान अध्ययनशाला, जी.वि.वि., नवालियर। (संयोजक) (0751-2442836)


(2) प्रो. आर.के. तिवारी, आचार्य, भौतिकी अध्ययनशाला, जी.वि.वि., नवालियर।

(3) डॉ. के.एस. लक्ष्मी, आचार्य, वाणिज्य एवं प्रबंधन अध्ययनशाला, जी.वि.वि., नवालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुसूची है कि वे परिविष्टम 27-28 के प्रावधानों के अनुबंध महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर सुलक, धरेहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉक, प्राप्तिकृत संस्था से प्राप्त अनुबंध/अन्वापत्ति प्रमाण-पत्र, जब्त, क्रीड़ा पारिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्किवेस्य संस्था पिछले सत्र में दी गई शर्तों द्वारा पूर्ति यथा प्रमाण पत्र के तथा ग्राहार्थ/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक ट्रॉक की नियुक्तियों का प्रमाण एवं रेतज आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुबंधों अंकित हों। महाविद्यालय प्रावार्थ/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के ३५ दिवस के अन्दर विरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों द्वारा अप्रकृत स्थापित छर निरीक्षण करायें। समिति द्वारा देव देव है कि वे उक्त निरीक्षित अमय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन ०७ दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व विरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।


समिति अन्वय का पत्र प्राप्त होने के बाद विरीक्षण में की गई देशी के लिये महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी दूषणा आनुकूल, उच्च शिक्षा, शोधालय को ओज दी जावेगी। यही महाविद्यालय ०३ माह में विरीक्षण बहीं करता है तो समिति द्वारा विरस्त हो जावेगी और पुब्लिक निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड रखला प.रु. ८८,०००/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही विरीक्षण समिति द्वारा पुर्बानुभव किया जायेगा। परिविष्टम 27(11)(7) के अनुसार सम्बलता प्रत्यक्ष विवेदन घट्रों को प्रवेश देवा अवैधानिक है।

विरीक्षण समिति के द्वारा सम्बलता शास्त्र में कार्यालय अधीक्षण / कार्यालय उद्योग पत्राली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुक्षेत्र से विरीक्षण समिति के अवगत करायेंगे। विरीक्षण समिति के सदस्यों द्वारा ची.ए. / ची.ए. / मानवेत्र महाविद्यालय द्वारा देव होगा।

  
कुलसरिव

प्रतिलिपि :-

१. उमस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
२. ग्रावर्न/अध्यक्ष, संविधित महाविद्यालय की ओर ओजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक द्वारा संषर्क स्थापित कर विरीक्षण दिनांक विस्तारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण १५ दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
३. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा अवन, भौपाल
४. कुलाधिकारी, जीवाजी विश्वविद्यालय, नवालियर
५. कूलपति के सचिव / कुलसरिव के विजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, नवालियर

  
सहायक कुलसरिव (सम्बलता)